



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092021-229368  
CG-DL-E-02092021-229368

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3292]  
No. 3292]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 2, 2021/भाद्र 11, 1943  
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 2, 2021/BHADRA 11, 1943

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)  
अधिसूचना  
नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2021  
(आयकर)

का.आ. 3595(अ) .—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 194त के स्पष्टीकरण के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्दिष्ट बैंक को एक बैंकिंग कंपनी के रूप में अधिसूचित करती है, जो एक अनुसूचित बैंक है और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45 के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है।

स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,-

- 1) "बैंकिंग कंपनी" का वही अर्थ होगा जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45क के खंड (क) में निहित है;
  - 2) "अनुसूचित बैंक" का वही अर्थ होगा जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 2 के खंड (ड.) में निहित है।
2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[अधिसूचना संख्या 98/ 2021/फा.सं. 370142/11/2021-टीपीएल]

अंकित जैन, अवर सचिव (कर नीति एवं विधान प्रभाग)

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)**

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

**NOTIFICATION**New Delhi, the 2<sup>nd</sup> September, 2021**(Income-tax)**

**S.O. 3595(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (a) of *Explanation* to section 194P of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies specified Bank to mean a banking company which is a scheduled bank and has been appointed as agents of Reserve Bank of India under section 45 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934).

*Explanation:* For the purpose of this notification,—

1. “banking company” shall have the meaning assigned to it in clause (a) of section 45A of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934);
- 2 “scheduled bank” shall have the meaning assigned to it in clause (e) of section 2 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934).
2. This notification shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

[Notification No. 98/2021/F. No. 370142/11/2021-TPL]

ANKIT JAIN, Under Secy. (Tax Policy and Legislation Division)